

**OFFICE OF
PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FOREST (HoFF) Rajasthan**

**Comprehensive Report to be submitted before Hon'ble NGT
In compliance of orders issued in**

OA 209/2022 Megh Singh & others vs State of Rajasthan

(i) **Village, Tehsil and District and revenue numbers of the land allotted for afforestation in lieu of diverted forest land**

A proposal was sent by Govt of Rajasthan for diversion of 68.63 Ha of Randhisar hills for mining purpose under Forest Conservation Act. Out of the total 68.63 ha, permission for diversion of 59.748 ha of area was received vide GoI order No 8-68/97/FC/ dated 16.8.99. For Compensatory Afforestation, Non Forest Land (NFL) of 284 bigha 11 biswa was allotted in Punrasar village of Shri Doongargarh tehsil of Bikaner district by District Collector Churu's order No. F12(12)(1) Revenue /97 dated 18.02.1999 & Govt of Rajasthan order No F6(272)Revenue/Group-3/98, Jaipur, dated 29.01.1999

The revenue numbers/ Khasra numbers of allotted non forest land given in lieu of diverted Randhisar land are 862/649, 448 & 447. The above area was declared as Protected Forest by Govt of Rajasthan gazettee declaration dated 18.04.2012.

The tehsil Shri Doongargarh was earlier part of Churu district and was later merged into Bikaner district. Plantation/ afforestation at this forest land has been done by Forest division of Bikaner in in CDP (Canal Development Project) scheme with total cost of approx Rs. 5.64 lacs.

Penal Compensatory afforestation on Degraded Forest land of **double** the land that was diverted i.e. 119.5 Ha was to be done, as per conditions of forest land diversion

Non Forest Land	Khasra No.	Area (Bigha)
Village : Punrasar	862/649	154.18 (38.98Ha)
Tehsil : Sri	448	128.12 (32.40Ha)
Dungargarh	447	1.01 (0.25 Ha)
District : Bikaner	Total	284.11 (71.80 ha)

(ii) **Entries in revenue record to show whether the same has been mutated in the name of forest department**

The land given in Shri Dungargarh Tehsil in Bikaner in lieu of diverted forest land in Randhisar has been mutated in name of Forest Dept & declared as Protected Forest vide Rajasthan govt gazettee notification dated 18.04.2012. The Jamabandi


उप वन संरक्षक
चूरु

for Punrasar Forest Block of 98Ha (which included 71.9 Ha of area received in lieu of Randhisar hills diversion) is enclosed. (Annexure 5,6)

(iii) **The status of compensatory afforestation including species planted, survival rate and expenditure incurred on the same till date. in this regard**

As per conditions of forest land diversion, Compensatory Afforestation was to be done in 2 parts –

- A. On 284 Bigha (approx 71.9 ha) Non Forest land allotted in Punrasar village of Bikaner district
B. On Degraded Forest Land of 119.5 Ha

A. Compensatory Afforestation on Non Forest Land

The plantation on Non Forest land allotted in Punrasar village of Shri Dungargarh tehsil was done during period 2001-05 and following species were planted.

Plantation Details on NFL, Punrasar, Bikaner

Scheme	Year	Site Name	Species	No of Trees planted	Total Expenditure (Rs.)	Survival %
CDP I	2001-02	SDS Punrasar 35Ha	Tortalis	15000	708499	62.24
			Kumtha	2500		
				17500		
CDP II	2002-03	Vanikaran Punrasar 28Ha	Tortalis	10000	640934	61.94
			Khejri	1000		
			Ber	500		
			Rohida	500		
			Kumtha	2000		
	14000					
CDP III	2004-05	Punrasar 11 Ha	Tortalis	2900	442086	63.28
			Ber	1200		
			Rohida	400		
			Kumtha	1000		
				5000		
				37000	1791519	62.49

The plantations are in good state and approx 62% plants planted from 2001-02 to 2004-05 are still present on site and have helped in amelioration of local micro-climate of the region. Photographs Annexed.

B. Compensatory Afforestation on Degraded Forest Land

Afforestation was done in 5.2 Ha area in Leel ki Beed Forest block Rajgarh Tehsil of Churu district in 2006-07 with approx cost of Rs. 0.65 Lac. Proposals for remaining


उप वन संरक्षक
चूरु



compensatory afforestation in approx. 114.4 ha of Degraded Forest Land (DFL) have been sent and the work is expected to be taken up in year 2024-25.

Compensatory afforestation on Degraded Forest land in Leelki Beed area of Rajgarh tehsil Churu was done during year 2006-07 and following species were planted with an expenditure of Rs 1.6 lakhs.


Plantation Details on DFL, Leelki Beed

Scheme	Year	Site Name	Species	No of Trees planted	Total Expenditure (Rs.)	Survival %
DFL	2006-07	Compensatory Afforestation Leelki Beed 5.16Ha	Tortalis Kumtha Ber Khejri	1400 620 1400 200	42000	62
				3620	42000	62%


 उप वन संरक्षक
 चूरु



उप वन संरक्षक
वृक्ष



उप वन संरक्षक
पुस्तक

जिला डीप्टर,
राजस्थान

क्रमांक ५७ ६१२७२१ रा-मुप-३/७८ जयपुर, दिनांक २९/११/९९

विषय:- ज्ञान क्षेत्र पहाड़ी रणधीर तटलील सुदानगढ के अदले में वन विभाग को भूमि आवंटन करने हेतु ।

सन्दर्भ:- आवका पत्र क्रमांक १२११२११११ राजस्व/७७
दिनांक १२-८-९८

महोदय,

उपरोक्त विषय में निदेशानुसार आवके प्रस्तावानुसार तटलील सुदानगढ की रणधीर पहाड़ी के ज्ञान क्षेत्र ६८ हेक्टेयर भूमि के अदले में ग्राम सुदख पुनरातर तटलील हुंगरपुर के छ.तं. ०६२/६९७ रकबा २५१ बीघा १३ बिस्वा बिस्म. सिपायक भूमि में से १५९ बीघा १६ बिस्वा त.बं. ५५८ बिस्म जोड़ पायतन भूमि में से १२८ बीघा १२ बिस्वा एवं छ.तं. ५५७ बिस्म जोड़ पायतन का कुल रकबा १ बीघा १ बिस्वा बिता उ दो हुत २८९ बीघा ११ बिस्वा भूमि राज. भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ की धारा १०२ -क के अन्तर्गत वन विभाग को स्थानान्तरण हेतु आवंटित विषय जाने की राजस्वीय स्वीकृति रख कर प्रदान की जाती है ।

अधीन,

११

१ बी.एल. वर्मा १
शासन उप सचिव

उप वन संरक्षक
चुरू

प्रतिनिधि:-

रजिता पत्रावली ।

शासन उप सचिव

107

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बुरुह

क्रमांक: ए012(12) (1) राजस्थान 197

दिनांक - 18-2-99

21/2/99

आदेश
७७७७७७७७७७

11/2/99

माननीय राजस्थान न्यायालय के न्यायिक अधिकारी 12-12-96 के अनुपालना में वन विभाग को प्लान्टेशन हेतु भूमि देने जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार, श्री हिंगराज से ग्राम पुनरावर के लॉ नं० 862, 1, 649 रकबा 257 बीघा 13 बिस्वा विस्थापित भूमि में से 154 बीघा 18 बिस्वा, लॉ नं० 448 बीघा 13 रकबा 118 बीघा 12 बिस्वा पूर्ण रकबा एवं लॉ नं० 447 बीघा 13 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा विस्थापित 3 बीघा 284 बीघा 11 बिस्वा भूमि का इस्तफा प्राप्त होने पर राज्य सरकार को अर्जेंट की स्थिति हेतु भिजाया गया तथा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक ए0 12-98 से उक्त भूमि में राजस्थान अधिनियम, 1956 के धारा 92 के अन्तर्गत वन आरक्षण हेतु आरक्षित की गई।


अतः उप शीर्षक, राजस्थान (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक ए0 6 (272) राजस्थान-3198 दिनांक 20-2-99 से उपरोक्त विधि विस्थापित 3 बीघा 284 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाले रीले ग्राम पुनरावर तहसील हिंगराज में वन विभाग को प्लान्टेशन हेतु मु.रा.अ.अ. अधिनियम, 1956 के धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित करने हेतु राजकीय स्थिति प्रदान की गई है। अतः उपरोक्त विधि विस्थापित 3 बीघा 284 बीघा 11 बिस्वा भूमि को मु.रा.अ.अ. अधिनियम, 1956 के धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित की गई है, सन्दर्भ धारा 102-क के अन्तर्गत वन विभाग को प्लान्टेशन हेतु सतुष्टा आरक्षित की जाती है।

जिला कलेक्टर, बुरुह

प्रतिनिधिपत्रपत्राई सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) उपरोक्त अधिकारी, हलनगढ़।
- (2) उप वन सहायक, बुरुह को प्रेषित कर लेख है कि उक्त भूमि का तहसीलदार हिंगराज से निपनानुसार गज्या प्राप्त कर प्लान्टेशन भिजा जावे।
- (3) तहसीलदार, श्री हिंगराज को प्रेषित कर लेख है कि उक्त भूमि का वन विभाग के नाम अर्जेंट परामर्श की कार्यवाही की जावे।
- (4) तहसीलदार, गुजानगढ़ को सूचना दी।

उप वन संरक्षक
बुरुह



भाग 1 (ख)

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरकार इसके फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है ऐसी जांच तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है ;

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न ही उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा ;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन कि लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम वनखण्ड/चक	नाम तहसील	नाम जिला	वनखण्ड का क्षेत्रफल	वनखण्ड के क्षेत्रफल का विवरण			सीमा
					नाम ग्राम /चक	खसरा/मु. नम्बर	रकबा (बीघा में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पुनरासर	राजस्व तहसील श्रीडूंगरगढ	बीकानेर	387.13 बीघा	पुनरासर	447 448 1169/862 1171/855	1.01 128.12 188.00 70.00	पूर्व :- आबादी पश्चिम :- काश्तकार, उत्तर :- काश्तकार, ओरण दक्षिण :- काश्तकार, गौशाला, आबादी
					योग	387.13 बीघा (98.04 है०)		

द्वितीय अनुसूची

पेड़ों की सूची वन खण्ड-पुनरासर

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
1	2	3
1.	<i>Salvadora oleoides</i>	जाल
2.	<i>Prosopis cineraria</i>	खेजडी
3.	<i>Zizyphus Nummularia</i>	बैर
4.	<i>Zizyphus Mauritiana</i>	बड़ा बैर
5.	<i>Tecomella undulata</i>	रोहिडा
6.	<i>Acacia tortalis</i>	इजरायली बबूल
7.	<i>Azadirachta indica, A Juss</i>	नीम
8.	<i>Prosopis Juliflora</i>	विलायती बबूल
9.	<i>Acacia senegal</i>	कुमठा
10.	<i>Salvadora persica</i>	जाल पीलू
11.	<i>Calligonum polygonoides</i>	फोग
12.	<i>Leptadenia pyrotechnica</i>	खीप
13.	<i>Aerva pseudotomentosa</i>	बूई
14.	<i>Halozyton salicornicum</i>	जाना
15.	<i>Calotropis procera</i>	आक
16.	<i>Acacia jacquemontii</i>	यावली
17.	<i>Crotalaria burhia</i>	शिगिया
18.	<i>Capparis decidua</i>	कपूर

उप वन संरक्षक
चूर

1	2	3
19.	<i>Lasiurus sindicus</i>	सेवण
20.	<i>Cymbopogon jawarncusa</i>	बुर घास
21.	<i>Panicum turgidum</i>	भुरट
22.	<i>Dichanthium annulatum</i>	गंठील घास, करड

राज्यपाल की आज्ञा से,
सी.एस. रत्नासामी,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

वन विभाग
विज्ञप्ति

जयपुर, मार्च 30, 2012

संख्या प. 2(9)वन/2011 :- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है :

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 की धारा 29, उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं ;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है; परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है ;

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरकार इसके फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है ऐसी जांच तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है ;

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न ही उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा ;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राईफ़्लेस में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन कि लिये खंडित किया जाना अथवा साफ़ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

क्र. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
1	डोरा	बून्दी	बून्दी	पूर्व- नाला एवं खसरा नं. 15 की शेष जमीन पश्चिम- वन खण्ड कछालिया की घोषित भूमि उत्तर -वन खण्ड कछालिया की घोषित भूमि दक्षिण- नाला एवं उस पर बना एनिकट	ग्राम डोरा के खसरा नम्बर व क्षेत्रफल हैक्टर ख.नं क्षेत्रफल बीघा बिस्वा 760 14 15 15/1
				योग	2.38 हैक्टर

उप वन संरक्षक
वृक्ष

F.No 8-68/1997-FC (Pt-I)
 Government of India
 Ministry of Environment and Forests
 (FC Division)

Paryavaran Bhawan, CGO Complex,
 Lodhi Road, New Delhi - 110510
 Dated: 20th June, 2011

To
 The Principal Secretary (Forests),
 Government of Rajasthan,
 Jaipur.

Sub: Renewal of diversion of 58.8428 ha (originally proposed 59.748 ha) of forest land for mining of masonry stone in favour of 40 (originally proposed 42) leaseholders in Randhisar hill forest block in Churu district of Rajasthan.

Sir,

I am directed to refer to State Government's letter no. P1(59)Van/2010 dated 17.06.2010 on the subject cited above seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted under section-3 of the said Act, in-principle approval was granted vide this Ministry's letter of even number dated 29.09.2010 subject to fulfillment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the in-principle approval and has requested the Central Government to grant final approval.

2. In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the State Government vide letter no. F-16(109/Vashu/Pramuvansh/211) dated 20.04.2011, final approval of the Central Government is hereby granted under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for renewal of diversion of 58.8428 ha (originally proposed 59.748 ha) of forest land for mining of masonry stone in favour of 40 (originally proposed 42) leaseholders in Randhisar hill forest block in Churu district of Rajasthan subject to fulfillment of the following conditions:

1. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be raised and maintained by the State Forest Department at the project cost.
3. The approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 is subject to the clearance under the Environment (Protection) Act, 1986 and any other clearances required under different Acts/Regulation/Rules.
4. The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional NPV. If so determined, as per the final decision of Hon'ble Supreme Court of India.
5. The State Government will suggest comprehensive soil conservation measures to be undertaken at the cost of User Agency.
6. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable under strict supervision of the State Forest Department.
7. No labour camps shall be set up inside the forest area. Labour management-plan should be submitted with emphasis that no labour camp be set up in the close vicinity of the


 उप वन संरक्षक
 चूरु

eco-fragile and sensitive areas.

8. The user agency shall provide little fuel to the labourers working at the site to avoid damage / felling of trees.
9. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
10. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
11. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person.
12. The Fencing, protection and regeneration of the safety zone area (7.5 metre strip along the outer boundary of the combined mining lease area) shall be done and maintained at the project cost.
13. Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake measures involving local community, the afforestation measures in the blanks within the lease area, as well as along the roads outside the lease area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost. Each lease holder will plant and maintain 25 trees per year during the lease period of the mine and submit details at the time of renewal.
14. The period of diversion under this approval shall be twenty (20) years or coterminous with the mining leases subject to possession of valid lease by user agency under the MMDR Act, 1957.
15. The outer limit of all the leases be demarcated and maintained by creating four feet high wall.
16. The user agency will obtain Environmental clearance and any other clearances required for such project.
17. As the State Government has not submitted the compliance report in respect of M/s PG Stone (0.3052 ha) and M/s Shyam Grit (0.6 ha), these leases are not renewed with this approval.
18. Any other condition that the Conservator of Forests (Central), Regional Office, Lucknow may impose from time to time in the interest of conservation, protection and development of flora and fauna of the area.

Yours faithfully,

(Rajesh Sharma)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The PCCF, Govt. of Rajasthan, Jaipur for information.
2. The Nodal Officer (FCA), o/o PCCF, Jaipur.
3. The Chief Conservator of Forests, Regional Office, Lucknow.
4. The User Agency.
5. The Monitoring Cell.
6. Guard File.


अप वन संरक्षक
बुल

(Rajesh Sharma)
Assistant Inspector General of Forests



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- पुनरासर
पटवार हल्का :- पुनरासर
भू.अभि.नि. :- शेरूणा
तहसील :- डूंगरगढ़
जिला :- बीकानेर

अंतिम चोसला आधार सम्बन्ध :- 2070 - 2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) मे म्यायी
भूमि धारक का नाम :- राज.गरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 844
खाता संख्या पुराना :- 0

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिये,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	नृपक द्वारा संदत लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1629/1107	5.7500	गै.मु.वन 5.7500				
1630/791	10.0300	गै.मु.वन 10.0300				
1631/792	1.2800	गै.मु.वन 1.2800				
1632/793	1.4000	गै.मु.वन 1.4000				
1633/1416	0.7700	गै.मु.वन 0.7700				
518	0.2600	गै.मु.वन 0.2600				
519	32.5300	गै.मु.वन 32.5300				
788	21.5200	गै.मु.वन 21.5200				
797	24.5100	गै.मु.वन 24.5100				
कुल खसरे - 9	98.0500	98.0500				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 24-Nov-2021



सत्य प्रतिलिपि
पत्र संख्या: 2272.....
दिनांक: 24/11/2021.....
पहचान संख्या: 4/11/2021

उप वन संरक्षक
मुख

File No 8 68/97 - FC
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

PARYAVARAN BHAWAN
C G O COMPLEX, LODHI ROAD
NEW DELHI-110003
Dated, 16th August, 1999

To,

The Secretary(Forests)
Govt. of Rajasthan,
JAIPUR

Subject: Diversion of 68.63 ha. of forest land for mining of masonry stone in favour of 42 leaseholders in forest block Randhiser hill in district Churu, Rajasthan.

Sir,

I am directed to refer to your letter no. 1(181) Forest/97 dated 9.4.97 on above mentioned subject seeking prior approval of Central Govt. in accordance with section-2 of the Forest(Conservation) Act, 1980.

After careful consideration of the proposal of State Govt., and in accordance with the recommendation of Forest Advisory Committee constituted under F(C) Act, Rules, 1981, Central Govt., hereby conveys its approval under section-2 of Forest(Conservation) Act, 1980 for diversion of 59.748 ha. (area required for dumping of overburden is restricted to 15 ha. only.) of forest land for mining of masonry stone in forest block of Randhiser hill in district Churu, subject to following conditions:

1. The legal status of forest land shall remain unchanged
2. The forest area being diverted shall be demarcated on ground by RCC pillars at the cost of user agency.
3. Compensatory afforestation will be raised over non-forest land equivalent in extent to forest area to be broken afresh at the cost of user agency.
4. Non-forest land transferred to forest department for raising compensatory afforestation, will be declared as protected/reserved forest under Indian Forest Act, 1927.
- ✓ 5. Penal compensatory afforestation will be raised over 119.596 ha. of degraded forest land at the cost of user agency.

10
27/19
27/19
27/19

1579
13.9.99

उप वन संरक्षक
चूरु

— Cont in Page 2 —

6. The permission will be valid for ten years w e f issue of the order
7. The balance 8.883 ha. of forest land will be demarcated , fenced and maintained as green belt at the cost of user agency.
8. This permission is subject to final outcome of the case in Writ petition No 3128/98 and Civil Special Appeal No. 218/99 in the High Court of Rajasthan at Jodhpur.
9. It will be also ensured that forest land is not leased to any party/agency whose claim for mining lease is not settled and matter is pending in any court of Law
10. The forest land shall not be used for any other purposes other than specified in the proposal.
11. Any other conditions may be imposed by State Govt. or CCF(C), Regional Office ~~na~~, Lucknow from time to time in the interest of conservation and development of flora and fauna in that area.

Yours faithfully,

(V.B. Kumar)

Asstt Inspector General of Forests

Copy to:

1. The PCCF, Government of Rajasthan, Jaipur.
- ✓ 2. The Nodal Officer, O/o of the PCCF, Rajasthan, Jaipur.
3. The CCF(C), Regional Office, Lucknow.
4. R.O. (Hq), New Delhi.
5. User agency.
6. Guard File.

उप वन संरक्षक
दुल

V.B. Kumar
16/8/99
(V.B. Kumar)
A.I.G.F.


राजस्थान



सरकार

मरु प्रशास शैक परियोजना

PROJECT
COMBATING DESERTIFICATION
2001-02



वृक्षारोपण विवरणिका

PLANTATION JOURNAL

वन मण्डल

बीकानेर

रैंज का नाम..... श्री डूंगरगढ़

कार्य स्थल का नाम..... टीट्वा सिंधरीकरण पुनरासर

कार्य का प्रकार..... टीट्वा सिंधरीकरण वृक्षारोपण

पंचायत समिति..... श्री डूंगरगढ़ 3560

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी


बीकानेर

प्रपत्र - 1

1. कार्य स्थल का नाम एवं क्षेत्रफल टिब्बा रक्षणीकरण पुनरासार - 3544 हे.मी.
2. रेंज का नाम श्री हजरगढ़ पंचायत समिति श्री हजरगढ़
3. तहसील श्री हजरगढ़ जिला श्री कानेर वन मण्डल श्री कानेर
4. स्कीम का नाम ~~भयकुमार~~ भक्त शैक उसाह (C.C.P.)
5. भूमि का स्वामित्व वन भूमी (बखचीयर भूमी के बच्चे श्री दीपजी भूमी)
6. बजट मद एवं आवंटित राशि C.C.P. वर्षवार बजट आवरण
7. अग्रिम कार्य वर्ष वर्ष - 2001 - 2002
8. वृक्षारोपण वर्ष वर्ष 2001 - 2002
9. कार्य स्थल की स्थिति सड़क के सापेक्ष सड़क - पुनरासार सड़क पर पुनरासार से 2km पहले
10. चुनाव करने का कारण वन भूमी
11. स्थानीय पारिस्थितिकी
 - (a) जलवायु सामान्य
 - (I) ताप अधिकतम/न्यूनतम/औसत सामान्य
 - (II) औसत वर्षा सामान्य से कम
 - (b) भूमि का सामान्य विवरण
समतल/बालुई/टिब्बे/उबड़-खाबड़ आदि बालुई मिट्टी, बालू डुमट मिट्टी, बपसी बगीचा
 - (c) मृदा का सामान्य विवरण
बालुई/बालुई-डुमट/डुमट चिकनी मिट्टी
कंकर मुरड़ युक्त/बॉल्डर युक्त आदि
 - (d) प्राकृतिक वन सम्पदा का विवरण
कुम्हा, फाग, कुई, खेजड़ी, खीप
12. क्षेत्र में विगत में किया गया कार्य मौजूद हो तो विवरण
पुराना कार्य 1544 हे.मी. व 6344 हे.मी. के 2 कृषक खेती के लिए
13. पौध तैयारी का विवरण- कितने-कितने पौधे किस प्रजाति के, किस पौधशाला में तैयार करवाये जा रहे हैं
- विवरण उ.टी.एम. - 13000, खेजड़ी - 1000, खेजड़ी - 1000, खेजड़ी - 1000, कुम्हा - 1500
14. मौके पर बोर्ड लगाया जावे।
बोर्ड लगाया/नहीं लगाया.....

(1) कार्यस्थल का नक्शा

कार्य स्थल के नाम विचारी नगर, तृतीय वन पुस्तक
 क्षेत्रफल - 35 हे.के.
 परिधि - 3200 मी.
 पैमाना - 5 मी. = 1 से.मी.




From	To	Bearing	Distance
A	→ B	330°	120.00
B	→ C	242°	100.00
C	→ D	247°	100.00
D	→ E	250°30'	200.00
E	→ F	248°	100.00
F	→ G	247°	55.00
G	→ H	132°30'	310.00
H	→ I	218°	135.00
I	→ J	141°	97.00
J	→ K	172°30'	100.00
K	→ L	44°	175.00
L	→ M	47°30'	100.00
M	→ A	317°	50.00
			<u>3200.00</u>

तृतीय वन अधिकारी
 श्रीदूंगराज (राज.)

(2) मृदा का नक्शा

जमीन के क्षेत्र का विवरण निम्नलिखित अनुसार है
 क्षेत्रफल - 35 हे.न.दर
 परिधि - 3200 मी०
 पैमाना - 50 मी० = 1 से.मी०




From	To	Bearing	Distance
A	→ B	333°	128.50
B	→ C	242°	100.50
C	→ D	247°	100.50
D	→ E	250°30'	200.50
E	→ F	248°	175.50
F	→ G	247°	55.50
G	→ H	132°30'	213.50
H	→ I	219°	135.50
I	→ J	141°	97.50
J	→ K	173°30'	145.50
K	→ L	44°	175.50
L	→ M	47°30'	1087.50
M	→ A	347°	50.50
			<u>योग 3200.50</u>

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 श्री हनुमन्त (राज०)

(3) उपचार योजना नक्शा

उपचार योजना का सारोकारण नृक्षसोपान पुण्यार
 क्षेत्रफल - 35 हे. 4 अ. 2
 परिधि - 3200 मी.
 पैसा - 50 मी. = 1 से. मी.



From	To	Bearing	Distance
A	B	333°	120.50
B	C	242°	160.50
C	D	247°	150.50
D	E	250°30'	220.50
E	F	248°	175.50
F	G	247°	55.50
G	H	132°30'	312.50
H	I	219°	135.50
I	J	141°	87.50
J	K	173°30'	145.50
K	L	44°	173.50
L	M	47°30'	153.50
M	A	347°	50.50
योग			3200.00

संकेत



टाटा लिस्



बे 2



कुमठा



रेजडी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 धौलपुर (राज.)

नाम न आवे
उपलब्ध नहीं है
तदर्थ ही

(4) "सूक्ष्म नियोजन" - "मक़्त विस्तार ब्लॉक परियोजना"

प्रपत्र - 2

- (1) नाम राजस्व ग्राम कुमरासर
- (2) पंचायत समिति श्री इंगरगढ़
- (3) रेंज श्री इंगरगढ़
- (4) जिला श्री कनिंठ
- (5) राज्य राजस्थान
- (6) राजस्व ग्राम का कुल क्षेत्रफल
- (7) जनसंख्या - (1991 के आधार पर)

पुरुष	स्त्री	बालक	योग
-------	--------	------	-----

(8) परिवारों का वर्गीकरण (भूमि धारकता के आधार पर)

बड़े कृषक (10 है. से अधिक)	मध्यम कृषक (4.0 है. से 10.0 है.)	अर्द्धमध्यम कृषक (2.0 से 4.0 है.)	लघु कृषक (1.0 है. से 2.0 है.)	भूमिहीन	कुल
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------	-----

9. अनुसूची के आधार पर :

सामान्य परिवार	अनु. जाति परिवार	अनु. जन. जाति परिवार	अन्य पिछड़ी जाति परिवार	कुल
-------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	-----

10. पशु संख्या :-

गाय	भैंस	बकरी	ऊँट	अन्य	कुल
-----	------	------	-----	------	-----

11. भूमि संसाधन (हैक्टयर में)

ग्राम का कुल क्षेत्र	वन भूमि	कृषि अयोग्य भूमि	चारागाह	ऊसर भूमि	राजस्व भूमि	निजी भूमि	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि
----------------------	---------	------------------	---------	----------	-------------	-----------	-------------	--------------

12. ग्राम में उपलब्ध सुविधाएं :

- (i) शैक्षणिक सुविधाएं - माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय
राजीव गांधी पार्क स्कूल
- (ii) सिंचाई के साधन - कुआँ है
- (iii) पेयजल सुविधा - कुआँ है (वाटर वर्क) जलस्थ विभाग द्वारा
- (iv) डाक घर - है (एड)
- (v) स्वास्थ्य सुविधाएं - राजकीय डिस्पेंसरी, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी
- (vi) परिवहन सुविधाएं - कच्ची-पक्की, सड़क कच्ची द्वारा (पीप. डू. सीजी सुविधा)
- (vii) बैंक - स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया, जयपुर, पुनरामर
- (viii) अन्य - पोस्ट ऑफ़िस है पुनरामर इस्ट द्वारा चर्चिसाला

"प्रपत्र - 3"

ग्राम का संगठन विभिन्न दृष्टिकोण वाले समूहों का होता है, इसलिये बड़े, लघु सीमान्त एवं भूमिहीन कृषक समूहों में से अलग-अलग व्यक्तियों के साक्षात्कार किये जाने चाहिये। यदि जातीय/धार्मिक समूहों के आधार पर दृष्टिकोणों में भिन्नता होती है तो प्रत्येक समूह के प्रतिनिधियों से साक्षात्कार किये जाने चाहिये। अध्यापक, सरपंच आदि जो ग्राम्य स्तरीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं तो उनमें से भी एक या दो को सम्मिलित करें।

साक्षात्कारी का नाम : -

(अ) परिवार के बारे में जानकारी :-

(1) परिवार के मुखिया का नाम

(2) पिता का नाम

(3) जाति

(4) गांव

(5) खेतों कि भूमि जो उसके

स्वामित्व में है का क्षेत्रफल

(6) परिवार के सदस्यों की संख्या

(7) परिवार के सदस्यों का नाम एवं आयु :-

1. ~~रजनी देवी~~

2.

3.

(8) 10 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के सदस्यों की संख्या

1.

2.

3.

(9) वार्षिक आय

कृषि से

अन्य साधनों से

(10) शैक्षणिक योग्यता

कृषि संबंधी

अन्य

ब) पारिवारिक दृष्टिकोण

(1) अभाव की श्रेणी (✓ लगाये)

(क) ईंधन

(ख) चारा

(ग) इमारती लकड़ी

(घ) रोजगार

(स्वयं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा का प्रतिशत)

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति)..... 60% प्रतिशत)

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति)..... 50% प्रतिशत)

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति)..... 50% प्रतिशत)

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति)..... 50% प्रतिशत)

(2) किस प्रकार का उत्पाद प्रायः प्रयुक्त होता है :-

- (क) ईंधन
(ख) चारा
(ग) इमारती लकड़ी
- गाँवर / छांगण / मिट्टी का तेल / लकड़ी
पेड़ों की पत्तियाँ / कुट्टी / पशु आहार / घास

(3) बेरोजगारी (प्रत्येक साक्षात्कारी परिवार के लिये वर्ष पर्यन्त अनुमानित मानव दिवस में एवं इसकी अवधि)

(क) मानव दिवस
(ख) अवधि

नहीं / 1-100 / 100-200 / 200- अधिक
नव-जन / फरवरी-अप्रैल / मई-जून / जुलाई-अगस्त

(स) अभाव जिनका निराकरण आवश्यक है (✓ लगाये)

- (क) कृषि वानिकी
(ख) सामुहिक कृषि वानिकी
(ग) ग्राम्य वानिकी
(घ) कृषक पौधशाला
- भूमि / वित्त / श्रम / अरुचि / कोई नहीं
भूमि / वित्त / श्रम / अरुचि / कोई नहीं
भूमि / वित्त / श्रम / अरुचि / कोई नहीं
भूमि / वित्त / श्रम / अरुचि / कोई नहीं

(द) कौनसे दो अभाव प्राथमिक है (✓ लगाये)

रोजगार / वित्त / ईंधन / चारा / हरी खाद / फल / शैल्टर बैल्ट / मनोरंजन / लघु इमारती लकड़ी

(य) पशु संख्या :-

क्र.सं.	पशु इकाई	गाय	बैल	भैंस	बकरी	भेड़	ऊंट	अन्य	कुल पशु
		10		5					15

(र) गाँव में उपलब्ध पंचायतीराज संस्था / देवस्थान कमेटी / सहकारी समिति / पशुपालक संघ / स्वयं सेवी संस्था / ग्राम्य वन समिति आदि

(ल) वृक्षों / झाड़ियों / घास के लिये प्राथमिकताएँ (क्रमवार)

क्र.सं.	वृक्ष	झाड़ियाँ	घास	अन्य
(क)	शेजडी	मडकूर (पाला हट्ट)	शेवन घास	पशुपालन
(ख)	रोहिडा	लूग बिजडी	घामण घास	पशुपालन व चारा
(ग)	वेर	-	-	गवतभा
(घ)	शीक्षम	-	-	-

(व) भू-संरक्षण कार्य की उपयोगिता हेतु प्राथमिकताएँ :-

I	II	III
कृषि भूमि	पड़त भूमि	वन भूमि

नोट : 1. प्रत्येक साक्षात्कार के लिये अलग-अलग प्रपत्र काम में लेवे।

2. कृषक द्वारा स्वयं की कृषि भूमि पर काम करने के कार्य दिवस बेरोजगारी में सम्मिलित नहीं होंगे।

3. पशु इकाई के आंकलन के लिये गाय व बैल को एक भैंस व ऊंट को 2, भेड़ व बकरी को 1/2 इकाई माना जावे।

4. अन्य कोई पूछे गये प्रश्नों की सूची अथवा साक्षात्कारी द्वारा दी गई जानकारी इस प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

(श) क्या आप वन (पकल हट्ट) की सुझाव या आपसि उन्नत करती :-

- सुझाव उन्नत करण कि पकल को पान बर् के बाद समतेषण में मदद की आवश्यकता है। श्रम व वित्त दोनों में।

ग्राम का संगठन विभिन्न दृष्टिकोण वाले समूहों का होता है, इसलिये बड़े, लघु सीमान्त एवं भूमिहीन कृषक समूहों में से अलग-अलग व्यक्तियों के साक्षात्कार लिये जाने चाहिये। यदि जातीय/धार्मिक समूहों के आधार पर दृष्टिकोणों में भिन्नता होती है तो प्रत्येक समूह के प्रतिनिधियों से साक्षात्कार किये जाने चाहिये। अध्यापक, सरपंच आदि जो ग्राम्य स्तरीय निर्णयों को प्रभावित करते हों तो उनमें से भी एक या दो को सम्मिलित करें।

साक्षात्कारी का नाम :-

(अ) परिवार के बारे में जानकारी :-

(1) परिवार के मुखिया का नाम

(2) पिता का नाम

(3) जाति

(4) गांव

(5) खेतों कि भूमि जो उसके स्वामित्व में है का क्षेत्रफल

(6) परिवार के सदस्यों की संख्या

(7) परिवार के सदस्यों का नाम एवं आयु :-

1. रमेश पटना

2.

3.

(8) 10 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के सदस्यों की संख्या

1.

2.

3.

(9) वार्षिक आय

कृषि से

अन्य साधनों से

(10) शैक्षणिक योग्यता

कृषि संबंधी

अन्य

(ब)

पारिवारिक दृष्टिकोण

(1) अभाव की श्रेणी (✓ लगाये)

(स्वयं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा का प्रतिशत)

(क) ईंधन

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति)..... 80% प्रतिशत

(ख) चारा

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति)..... 60% प्रतिशत

(ग) इमारती लकड़ी

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति)..... 0% प्रतिशत

(घ) रोजगार

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति)..... 5% प्रतिशत

(2) किस प्रकार का उत्पाद प्रायः प्रयुक्त होता है :-

(क) ईंधन

गोबर/छाँगण/मिट्टी का तेल/लकड़ी

(ख) चारा

पेड़ों की पत्तियाँ/कुट्टी/पशु आहार/घास

(ग) इमारती लकड़ी

शेडिंग/शीशम

(3) बेरोजगारी (प्रत्येक साक्षात्कारी परिवार के लिये वर्ष पर्यन्त अनुमानित मानव दिवस में एवं इसकी अवधि)

(क) मानव दिवस

नहीं/1-100/100-200/200- अधिक

(ख) अवधि

नव-जन/फरवरी-अप्रैल/मई-जून/जुलाई-अगस्त

(स) अभाव जिनका निराकरण आवश्यक है (✓ लगाये)

(क) कृषि वानिकी

भूमि/वित्त/श्रम/अरुचि/कोई नहीं

(ख) सामुहिक कृषि वानिकी

भूमि/वित्त/श्रम/अरुचि/कोई नहीं

(ग) ग्राम्य वानिकी

भूमि/वित्त/श्रम/अरुचि/कोई नहीं

(घ) कृषक पौधशाला

भूमि/वित्त/श्रम/अरुचि/कोई नहीं

(द) कौनसे दो अभाव प्राथमिक है (✓ लगाये)

रोजगार/वित्त/ईंधन/चारा/हरी खाद/फल/शैल्टर बैल्ट/मनोरंजन/लघु इमारती लकड़ी

(य) पशु संख्या :-

क्र.सं.	पशु इकाई	गाय	बैल	भैंस	बकरी	भेड़	ऊंट	अन्य	कुल पशु
		10	—	10	—	—	—	—	20 पशु

(र) गांव में उपलब्ध पंचायतीराज संस्था/देवस्थान/कमेटी/सहकारी समिति/पशुपालक संघ/स्वयं सेवी संस्था/ग्राम्य वन समिति आदि

(ल) वृक्षों/झाड़ियों/घास के लिये प्राथमिकतायें (क्रमवार)

क्र.सं.	वृक्ष	झाड़ियाँ	घास	अन्य
(क)	शेडिंग	अंड कर	खेवन	पशुओं हेतु
(ख)	कर		घामण	चारा
(ग)	शीशम			
(घ)	खेजरी			

(व) भू.संरक्षण कार्य की उपयोगिता हेतु प्राथमिकताएं :-

कृषि भूमि	पड़त भूमि	वन भूमि
III	I	II

- नोट : 1. प्रत्येक साक्षात्कार के लिये अलग-अलग प्रपत्र काम में लेवे।
 2. कृषक द्वारा स्वयं की कृषि भूमि पर काम करने के कार्य दिवस बेरोजगारी में सम्मिलित नहीं होंगे।
 3. पशु इकाई के आंकलन के लिये गाय व बैल को एक भैंस व ऊंट को 2, भेड़ व बकरी को 1/2 इकाई माना जावे।
 4. अन्य कोई पूछे गये प्रश्नों की सूची अथवा साक्षात्कारी द्वारा दी गई जानकारी इस प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

ग्राम का संगठन विभिन्न दृष्टिकोण वाले समूहों का होता है, इसलिये बड़े, लघु सीमान्त एवं भूमिहीन कृषक समूहों में से अलग-अलग व्यक्तियों के साक्षात्कार लिये जाने चाहिये। यदि जातीय/धार्मिक समूहों के आधार पर दृष्टिकोणों में भिन्नता होती है तो प्रत्येक समूह के प्रतिनिधियों से साक्षात्कार किये जाने चाहिये। अध्यापक, सरपंच आदि जो ग्राम्य स्तरीय निर्णयों को प्रभावित करते हों तो उनमें से भी एक या दो को सम्मिलित करें।

साक्षात्कारी का नाम :-

(अ) परिवार के बारे में जानकारी :-

शंकराम

(1) परिवार के मुखिया का नाम

शंकराम

(2) पिता का नाम

खेमराम

(3) जाति

जाट

(4) गांव

फुनरासर

(5) खेतों कि भूमि जो उसके

स्वामित्व में है का क्षेत्रफल

200 बीघा

(6) परिवार के सदस्यों की संख्या

6 दो पुत्र

(7) परिवार के सदस्यों का नाम एवं आयु :-

1. ~~शंकराम~~

4.

2.

5.

3.

6.

(8) 10 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के सदस्यों की संख्या

1.

4.

2.

5.

3.

6.

(9) वार्षिक आय

60 रु 70 हजार रुपए मात्र

कृषि से

अन्य साधनों से

दूध एवं व्यवसाय से

(10) शैक्षणिक योग्यता

डाक्टरी पाठ्य

कृषि संबंधी

शुद्ध जानकारी

अन्य

दूध एवं व्यवसाय शुद्ध जानकारी

पारिवारिक दृष्टिकोण

(1) अभाव की श्रेणी (✓ लगाये)

(स्वयं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा का प्रतिशत)

(क) ईंधन

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति) प्रतिशत

(ख) चारा

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति) प्रतिशत

(ग) इमारती लकड़ी

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति) प्रतिशत

(घ) रोजगार

नहीं/मध्यम/अधिक (स्वयं द्वारा आपूर्ति) प्रतिशत

(2) किस प्रकार का उत्पाद प्रायः प्रयुक्त होता है :-
 (क) ईंधन गोबर/छांगण/मिट्टी का तेल/लकड़ी
 (ख) चारा पेड़ों की पत्तियां/कुदती/पशु-खाहार/घास
 (ग) इमारती लकड़ी शीशम रोहिडा

(3) बेरोजगारी (प्रत्येक साक्षात्कारी परिवार के लिये वर्ष पर्यन्त अनुमानित मानव दिवस में एवं इसकी अवधि)
 (क) मानव दिवस नहीं/1-100/100-200/200- अधिक
 (ख) अवधि नव-जन/फरवरी-अप्रैल/मई-जून/जुलाई-अगस्त

(स) अभाव जिनका निराकरण आवश्यक है (✓ लगाये)
 (क) कृषि वानिकी भूमि/वित्त/श्रम/अरुचि/कोई नहीं
 (ख) सामुहिक कृषि वानिकी भूमि/वित्त/श्रम/अरुचि/कोई नहीं
 (ग) ग्राम्य वानिकी भूमि/वित्त/श्रम/अरुचि/कोई नहीं
 (घ) कृषक पौधशाला भूमि/वित्त/श्रम/अरुचि/कोई नहीं

(द) कौनसे दो अभाव प्राथमिक है (✓ लगाये)
 रोजगार/वित्त/ईंधन/चारा/हरी खाद/फल/शैल्टर बैल्ट/मनोरंजन/लघु इमारती लकड़ी

(य) पशु संख्या :-

क्र.सं.	पशु इकाई	गाय	बैल	भैंस	बकरी	भेड़	ऊंट	अन्य	कुल पशु
		2		10					12

(र) गांव में उपलब्ध पंचायतीराज संस्था/देवस्थान कमेटी/सहकारी समिति/पशुपालक सघ/स्वयं सेवी संस्था/ग्राम्य वन समिति आदि

(ल) वृक्षों/झाड़ियों/घास के लिये प्राथमिकतायें (क्रमवार)

क्र.सं.	वृक्ष	झाड़ियाँ	घास	अन्य
(क)	शेजडा	अडकर	रुखन	
(ख)	शीशम		छांगण घास	
(ग)	रोहिडा			
(घ)	बर			

(व) भू.संरक्षण कार्य की उपयोगिता हेतु प्राथमिकताएं :-

कृषि भूमि	पड़त भूमि	वन भूमि
III	II	I

नोट : 1. प्रत्येक साक्षात्कार के लिये अलग-अलग प्रपत्र काम में लेवे।

2. कृषक द्वारा स्वयं की कृषि भूमि पर काम करने के कार्य दिवस बेरोजगारी में सम्मिनित नहीं होंगे।

3. पशु इकाई के आंकलन के लिये गाय व बैल को एक भैंस व ऊंट को 2, भेड़ व बकरी को 1/2 इकाई माना जावे।

4. अन्य कोई पूछे गये प्रश्नों की सूची अथवा साक्षात्कारी द्वारा दी गई जानकारी इस प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

(6) प्राक्कलन

2001-02

कुल स्वीकृत राशि 718375/-

स्वीकृत क्रमांक/दिनांक

क्र. सं.	कार्यो का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	कुल राशि
1.	क्षेत्र का क्षेत्रफल लक्ष्मी कर मास को लागू कर 2001 आदि है कर कर 2007 क्षेत्र को उक्त क्षेत्र के क्षेत्र कर करना साईट का पूर्ण विवरण दादाई ही दादाई ही का है कर करना -				
2.	$(30+20) \times 30$ सेमी आकार के प्लाक हेतु साभरी मय	35 हे०	35 हे०	100/-	3500=00
	क- सीमेन्ट - - - - -	-	34 बैग	150/-	5100=00
	ख- बजरी - - - - -	-	4.8 वर्ग मी०	200/-	960=00
	ग- कंक्रीट - - - - -	-	9.6 वर्ग मी०	500/-	4800=00
3.	सीमेन्ट, बजरी कंक्रीट के 1:4:8 के मिश्रण से $(30+20) \times 30$ सेमी के साभरी में प्लाक बनाया मय तराई सात दिवस तक -	-			
4.	उक्त प्लाक का परिवहन 45 किमी दूरी तक करने पर व्यय मय तराई व खाली करवाई - - - - -	-	534 प्लाक	8.75	4672=50
5.	सीमेन्ट कंक्रीट के प्लाक का मौके पर खड्डा खोद कर अलाइनमेन्ट में गाड़ना मय स्थानीय दुलाई - -	-	534 प्लाक	14.80	7903=20
6.	कौंसिंग हेतु कांटेदार तार खरीद $3200 \times 3 = 9600$ र० मी० - -	-	1.376 मे० टन	25000/-	34400=00
7.	कांटेदार तार को खोलना, तार फेलाना, खींचना तथा वाईडिंग वायर द्वारा एगल पर मिथी रीट धेदों पर गठबूती से बांधना -	-	9600 र० मी०	0.35	3360=00
8.	कांटेदार तार पर स्थानीय रूप से उपलब्ध इनाउ फाट कर 1 इंच ले सिंग - - - - -	-	1500 मी०	1.60	2400=00

क्र. सं.	कार्यों का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	कुल राशि
9.	बृहदारोपण हेतु कोप्पे हेनारी - अ- 47 चार कोप्पे 10 फीट शाल ब- कोटेदार कोप्पे 90 - - - (लक्ष्य से 10 फीट शाल अधिक)	-	1750 कोप्पे	3.70	6475=00
10.	उपरोक्त कोप्पे में कागज लट्टी दिले शान्ति हेतु कोप्पे हेनारी - -	-	17500 कोप्पे	2.22	38850=00
11.	कोट नाशक दवाई को खरीद कर रख - - - -	-	3850	1.56	6006=00
12.	नेत्र धन खाद खरीद - - -	-	35 हेठ	200/-	7000=00
13.	द्वेष में उपलब्ध शिक्षण यंत्रों से चलाये मान टीबो पर सतह के नीचे 25 सेमी, ऊपर 35 सेमी, मोटाई 15 सेमी रख कर मालिंग करना - - - -	-	21000 रकमी	2/-	42000=00
14.	मालिंग के साथ साथ रखेणडी कुमठा का बीज बुआई करना	-	10,000 रकमी	0.05	500=00
15.	कोप्पा रोपण हेतु (50+40) x 30 सेमी आकार का रकडों रकोदना मय एलाइनमेंट - - - - क- चलाये मान टीबो पर - ख- बालूई दुम्भट मिट्टी में - ग- चिकनी दुम्भट मिट्टी में	-	12500	0.40	5000=00
16.	12.5x30 सेमी आकार की थैलियों में कोप्पो का नर्सरी से बृहदारोपण स्थल तक दूरी 45 फीमी तक पर बहन मय कोप्पो को भराई व रकली करवाई - - - -	-	5000	1.60	8000=00
17.	रकडों में कोट नाशक दवाई से उपचारित कर कोप्पारोपण करना मय स्थानीय दुलाई - - -	-	19250 कोप्पे	0.63	12127=50
18.	अटगाडे द्वारा 2 फीमी दूरी तक गमला बनाकर प्रत्येक कोप्पे को कम से कम 25 लीटर पानी पिलाना वर्ष में चार बार धारी मय 7 संपाई सीरते	-	17500 कोप्पे	1.15	20125=00
		-	17500 कोप्पे	3.30	2,31,000=00

क्र. सं.	कार्यों का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	कुल राशि
19	मैपिंग के चारों ओर 245 लेमी अर्द्ध व्यास में क- मिटाई करना वर्ष में दो बार - र- 0.15 मीटर गहरी खुदाई करना वर्ष में चार बार - - -	-	17500 पोचे	0.30	10500=00
20	मैपिंग को सही व कोशिशों से सुर क्षा हेतु स्थानीय मध्य ले उपलब्ध स्थान स्थिति तथा ले 0.60 मीटर व एक मीटर अर्द्ध का इन्फोक्वना वाटर स्टोरेज हेतु डिग्गी निर्माण	-	17500 पोचे	0.50	35000=00
21	कर्मियों बनाना - - -	-	5000 मीगे	2.00	10,000=00
22	कर्मियों बनाना - - -	-	दो-नग	3000/-	6000=00
23	सुरक्षा व देखभाल हेतु वर्कपार्थ कर्मचारी पर व्यय - - -	-	एक सुरत	-	10,000=00
24	कार्य कलाव वारन संपादन	-	35 हेठ	1000/-	35000=00
25	कार्य कलाव वारन संपादन	-	एक सुरत	-	975=00
	गैट, साइन बोर्ड, जीआई वायर पानी-कम रात-लो में कैसिंग व मोविप्य में वर्षा की अत्यधिक कमी की स्थिति में मैपिंग की एक अति रिक्त सिंपाईथ गुडाई इत्यादि विशेष व्यय - - -	-	एक सुरत	-	49819=80
	क- कार्यों पर व्यय 85 मीटर 77 ल	-	-	-	610610=00
	ख- सामुदायिक संग्रहन 5 -"-	-	-	-	35910=00
	ग- प्रशासनिक व्यय 10 -"-	-	-	-	71855=00
	योग	-	-	-	7,18,375=00

कार्य शुरू करने के उपरान्त प्रत्येक पखवाड़े का कार्य गोश्वारा निम्नानुसार लिखा जावे।

क्र. सं.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	मात्रा/ संख्या	एम. बी. पेज. सं.	राशि
1.	17.7.2001 31.7.2001	Bills No - 20/44 ① चलायमान टिक्का पर खेदना ② उममठ मिट्टी पर खेदना ③ पोषारोपण ④ रोपित पौधों की पानी डरी 2km/दि. अक्षि	1800 1800 1800	214/1 — —	4200.00 2070.00 5940.00
2.	- do -	Bills No - 21/44 58 ① टिक्का पर खेदना ② पोषारोपण करना ③ रोपित पौधों की पानी डरी 2km/दि. अक्षि	1800 1800 1800	214/2 — —	4200.00 2070.00 5940.00
3.	- do -	Bills No. 20/45 ① 1 खेदना टिक्का पर खेदना ② पोषारोपण करना ③ रोपित पौधों की पानी डरी 2km/दि. अक्षि	1800 1800 1800	214/3 — —	4200.00 2070.00 5940.00
4.	18.2001 30.8.2001	Bills No - 30/44 ① चलायमान टिक्का पर खेदना ② उममठ मिट्टी पर खेदना ③ पोषारोपण करना ④ रोपित पौधों की पानी डरी 2km/दि. अक्षि	2000 2000 4000 4000	214/4 — — —	8000.00 3200.00 4600.00 13200.00
5.	- do -	Bills No. 30/45 ① चलायमान टिक्का पर खेदना ② उममठ मिट्टी पर खेदना ③ पोषारोपण करना ④ रोपित पौधों की पानी डरी 2km/दि. अक्षि	31000 1000 41000 4100	214/5 — — —	1240.00 1600.00 4715.00 13530.00
6.	- do -	Bills No - 30/46 ① चलायमान टिक्का पर खेदना ② उममठ मिट्टी पर खेदना ③ पोषारोपण ④ रोपित पौधों की पानी	2000 2000 41000 4000	214/6 — — —	8000.00 3200.00 4600.00 13200.00

क्र.स.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	मात्रा/ संख्या	एम. वी. पेज. सं.	राशि
7.	1.8.2001 30.8.2001	B. No - 30/47 (1) काया निर्माण	1000	214/8	3132.00
8.	1.9.2001 30.9.2001	B. No - 31/05 (1) 1600 बोखोर्न निरुद्धि - 7834	16000	214/9	12800.00
9.	16.9.2001 30.9.2001	B. No. 32/65 (1) पानी पिलाना 2km से अधिक	4000	214/10	13200.00
(10)	de	B. No - 32/06 (1) पानी पिलाना 2km से अधिक	3000	214/10	3300.00
11	- do -	B. No - 32/07 (1) पानी पिलाना 3 से 2km से अधिक	3000	214/11	9900.00
12	3-10-2001 31-10-2001	B. No - 34/09 (1) पीछा की पानी पिलाना 2km से अधिक	6000	214/12	2280.00
13.	1.12.2001 30-12-01	B. No - 35/34 (1) पानी पिलाना 2km से अधिक	7500	214/14	26750.00
14	- do -	B. No - 35/35 (1) पानी पिलाना	7500	214/15	24750.00
15	Feb. 02	B. No - 34/91 1500 बोखोर्न की पानी	7500	214/16	24750.00
16	- do -	B. No 37/02 (1) पानी पिलाना का कार्य	7500	214/16	29750.00
17	- do -	पानी का 4000	6800	214/17	3400.00
18.	22.5.02 10.6.02	(1) B. No. 39/83 Rs. 12870.00 (2) B. No. 39/84 - 12540.00 (3) 39/85 - 16500.00	3875 2330	214/18	12788.00
		(4) 3875 पीछा की पानी पिलाना	3800	214/19	12540.00
		(5) 3800 बोखोर्न पानी पिलाना	3000	214/20	16500.00
	11.6.02	(6) 5000 बोखोर्न पानी पिलाना → 526x5	526x5	-	2800.00
(9)	2-9-02 30.9.02	(1) B. No. - 44/17 (2) 3500 बोखोर्न e. 80 N.P. - 2600 (3) 3500 पीछा की पानी e. 1.15 - 4025 (4) 3500 पानी e. 3.80 - 11550	3500 e. 80	214/21	18375.00

क्र.स.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	मात्रा/ संख्या	एच.डी पेज. सं.	राशि
(20)	6-10-02 31-10-02	Bill No. 46/47, 48, 49, 50 (A) पानी - 3875 + 2-2845 + 3875 + 3875 (B) गुआई - 2500 + 2500 + 2500 + 2000 (C) गिरिई - 3875 + 3875 + 3875 + 3875	e 3-30 e 50 e 21-	214/ 24-25-23	18375 22538 22538 28538
(21)	1-12-02 15-12-02	Bill No. 48/51-51/005 (A) पानी - 3000 + 3000 + 3000 + 3000 + 3000 (B) गुआई - 1800 + 1800 + 1800 + 1660 + 1600	e 3-30 e 50	214/ 26-27-28	10800 x 5 25400000
(22)	8-2-03 22-2-03	Bill No 51/04-05-06 (A) पानी - 5000 + 5000 + 5000	e 3-30	214/ 29-30	16500 x 3 Ru. 3247500000
(23)	10-3-03 24-3-03	Bill No - 54/38 (A) पानी - 3500 पीछे की	e 3-30	214/31 31-32	11550000
24	10-5-03 31-5-03	Bill No - 58/35-36 (A) पानी - 4375 + 4375 (B) गुआई - 1750 + 1750	e 3-30 e 50	214/32	15312 15312 30624
25	10-5-03 30-6-03	कुल निर्माण कार्य विसरे 12 रु Bill No. 59/11 समिन् राशी C11953200	PWD BSR कलकत्ता	214/ 34-35-	1195300

कार्यों की समाप्ति के पश्चात निम्नानुसार गोश्वारा दर्ज किया जावे

क्र.सं.	नाम कार्य	कुल मात्रा	कुल व्यय	हस्ताक्षर कार्य प्रमारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
1.	फॉन्सिंग	10000 क्वार्टर	1276.00		
2.	खड़डे	30000 क्वार्टर	2800.00		
3.	झोंपड़ी	200			
4.	नाड़ी				
5.	रोपित पौधे	17500			
6.	बीजारोपण				
7.	अन्य				
			योग		

वृक्षारोपण का प्रजातितार विवरण

क्र.सं.	नाम प्रजाति वृक्ष	संख्या	हस्ताक्षर कार्य प्रमारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
1	श. होरलिदा	15,000		
2	कुमदा	2,500		
		योग		

वृक्षारोपण कार्य संधारण का विवरण

संधारण प्रथम वर्ष :- २००२ - ०३

क्रम संख्या	कार्य	मात्रा	व्यय	हस्ताक्षर कार्य प्रमारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
(1)	B.No. 39/83 (22-5. 10-6-02 (1) पानी छिलाना M.B.No - 214/18	3875 मीटर	127881		
(2)	B.No. 39/84 अकिये - 22-5 10-6-02 (1) पानी छिलाना	3800 मीटर	12540		
(3)	B.No. 39/85 22-5 10-6-02 पानी छिलाना	5000	16500		
(4)	पानी छय पर व्यय	576	2880		
(5)	B.N - 44/17 B.N-214/21 अकिये - 2-9-02 30-9-02 (1) 3500 लड्डे कुमक छी मी	3500	2800		
(6)	(2) 3500 हस्तरोपण	3500	4025		
(7)	(3) 3500 पानी छिलाना	3500	11550		
(8)	पानी पर व्यय -	158	790		
(9)	सी.व. परिवहन पर व्यय	3850	211820		
(10)	B.N - 46/77 डि. - 6-10 मी 31-10-02, M.B.No - 214/22				
(11)	(1) 3875 लड्डे कुमक	3875	12787		
(12)	(2) 2500 लड्डे कुमक	2500	2000		
(13)	(3) 3875 मीटर	3875	1750		
			योग =		

क्रम संख्या	कार्य	मात्रा	द्वय	हस्ताक्षर कार्य प्रगारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
(1)	B.N- 46778 अवधि 6-10-02 31-10-02 M.B.N- 214/23				
	(1) पानी पिलाना	3875	12787		
	(2) जिराई - गुडाई	2500	2000		
	(3) जोई कमाना	3875	2750		
(2)	B.N- 46779 अवधि 6-10-02 31-10-02 M.B.N- 214/24				
	(1) पानी पिलाना	3875	12789		
	(2) जिराई - गुडाई	2500	2000		
	(3) - जोई कमाना	3875	2750		
(3)	B.N- 46780 अवधि 6-10-02 31-10-02 M.B.N- 214/25				
	(1) पानी पिलाना	3875	12787		
	(2) जिराई - गुडाई	2000	1600		
	(3) जोई कमाना	3975	2750		
(4)	पानी इम पर कार्य	700	3500		
(11)	B.N- 49/91 अवधि 1-12-02 15-12-02 M.B.N- 214/26 (अ)				
	(1) पानी पिलाना	3000	10800		
	(2) गुडाई	900			
(12)	48/92 - 1-12-02 15-12-02 (26 अ)				
	(1) पानी - पिलाना	3000	9900		
	(2) गुडाई	1800	900		
(13)	किल नं.- 48/93 - 1-12-02 15-12-02				
	(1) पानी पिलाना	3000	9900		
	(2) गुडाई करवाना	1800	900		
(14)	किल नं.- 48/94 अवधि 1-12-02 15-12-02				
	(1) पानी पिलाना	3000	9900		
	(2) गुडाई करवाना	1800	900		
				योग =	
				9900	
				900	

संधारण द्वितीय वर्ष :-

क्रम संख्या	कार्य	मात्रा	व्यय	हस्ताक्षर कार्य प्रभाषी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
15	48/95-12-02 के 15-12-02 मिचार्ज उत्तर	3000 1800	9980 900		
16	51/95 8-2-03 के 22-2-03 मिचार्ज	5000	16500		
17	51/94 8-2-03 के 22-2-03 मिचार्ज	5000	16500		
18	51/96 8-2-03 के 22-2-03 मिचार्ज	5000	16500		
19	94/38 10-3-03 के 24-3-03 मिचार्ज	3500	11550		
20	58/35 10-5-03 के 31-5-03 मिचार्ज उत्तर	4375 1750	14437 875		
21	58/36 10-5-03 के 31-5-03 मिचार्ज उत्तर	4375 1750	14437 875		
67/34	8-3-04 के 23-3-04 मिचार्ज उत्तर	3250 1600	10725 800		
67/32	8-3-04 के 23-3-04 मिचार्ज उत्तर	3250 1600	10725 800		
67/33	8-3-04 के 23-3-04 मिचार्ज उत्तर	3250 1600	10725 800 योग =		

संधारण तृतीय वर्ष :-

क्रम संख्या	कार्य	मात्रा	व्यय	हस्ताक्षर कार्य प्रभारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
67/24	8.2.04 से 23.2.04 आचार्य गुरुकुल	3250 1600	10725 800		
			योग =		

संधारण चतुर्थ वर्ष :-

क्रम संख्या	कार्य	मात्रा	व्यय	हस्ताक्षर कार्य प्रभारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
			योग =		

प्रथम वर्ष संधारण के उपरान्त रिप्लेसमेंट में लगाए गये पौधों का विवरण

क्र.सं.	रोपित पौधों की प्रजाति	संख्या	हस्ताक्षर कार्य प्रभारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
(1)	ल-शालि	3500	rk	
		योग		

वित्तीय वर्ष अनुसार व्यय :-

वर्षवार व्यय राशि (लाखों में)	0 वर्ष / वृक्षारोपण वर्ष	संधारण वर्ष			
		I	II	III	IV
स्वीकृत राशि					
वास्तविक राशि					

(2) निरीक्षण टिप्पणी

क्र.सं.	दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम नय पद	निरीक्षण टिप्पणी
1)	15.10.05	वीरभद्र मिश्र क्षेत्रीय वन अधिकारी	<p>वृक्षारोपण वर्ष 2001 में करवाया गया है। साइट पर टार्गलिस के पौधे ही दिखाये पड़े रहे हैं। टिहबो पर शोध 3.5'-4' है। क्षेत्र में मवेशियों का दबाव बहुत ज्यादा है। तार बंदी तत्काल हीक की जावे। टिहबो के अतिरिक्त पौधों की शोध कम है। मेले की वजह से होने वाले निम्न नुकसान को कम दिवा जाने का प्रयास दिवा जावे।</p> <p style="text-align: right;">cul RO SOG/RH.</p>

राजस्थान



सरकार

मरु प्रशार रोक परियोजना

PROJECT
COMBATING DESERTIFICATION



वृक्षारोपण विवरणिका

PLANTATION JOURNAL

वन मण्डल

बीकानेर

रैंज का नाम श्री डूंगरगढ़

कार्य स्थल का नाम पुनरावर

कार्य का प्रकार शोर्ट-टर्म वृक्षारोपण 11 हेक्टर CDP III

पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी

बीकानेर

राजस्थान



सरकार

मरु प्रशार शैक परियोजना

PROJECT
COMBATING DESERTIFICATION



वृक्षारोपण विवरणिका PLANTATION JOURNAL

वन मण्डल

बीकानेर

रैंज का नाम

श्री डूंगरगढ़

कार्य स्थल का नाम

S/13 पुनराश्रम

कार्य का प्रकार

श्री मरु क्षेत्र वृक्षारोपण


पंचायत समिति

श्री डूंगरगढ़

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी
बीकानेर

कार्य स्थल का नाम
 श्री. वी. वेंकटरावण पुनरासर
 क्षेत्रफल - 11 हेक्टर
 परिधि - 1568 मीटर


कार्य स्थल - टी. वना विधारीकरा पुनरासर
 क्षेत्रफल - 24 हेक्टर
 परिधि - 2052 मी.
 पैमाना - 1:10000 = 1 से.मी.
 Contour - 6.56 मी/0



टी. वना विधारीकरा पुनरासर
 क्षेत्रफल (24 हे.)

श्री. वं. लक्ष्मीण कुमर
११ अक्टूबर १९६८
५१६८ - १५६८

← ५




सकेत

○ वालु कुमर

○

शुक्र ग्रहण का चित्र
शुक्र ग्रह का चित्र
पृथ्वी-सूर्य चित्र

← 17



संकेत

- अ. दृश्यलिखा
- कुमठा
- शर

वृत्त - इ.ग.न.प. स्टेज प्रथम, वीकानेर।

वन मण्डल - वीकानेर।

रेन्ज - श्रीझूगरगढ़।

पंचायत समिति - श्रीझूगरगढ़।

कार्यस्थल का नाम - शे.वे. वृक्षारोपण पुनरास

क्षेत्रफल - 11 हैक्टर।

वित्तीय वर्ष - 2004-05

मजदूरी दर 60/- प्रतिदिन

लेखागद - सी.डी.पी

5

8

10

12

जिला - वीकानेर।

सृजन वर्ष - 2004-05

आवंटिन राशि - 37692/- प्र.है.

कुल आवंटित राशि रुपये 407759/ 3.


सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि	3	
	क्षेत्र का चेन कम्पास सर्वे कर साईक्रोप्लान नक्शा आदि तैयार करना व क्षेत्र को उपखण्डों में विभक्त करना व साईट का पूर्ण विवरण दर्शाती दस्तावेज तैयार करना	11 हैक्टर	200/-	2200		4
	35X35X5 मि.मी. के 1.5 मी. लम्बे एंगल आयरन खरीद कर व्यय	160 एंगल	150/-	24000		र
	(35+20) ² X30 सेमी. आकार के 152 ब्लॉक हेतु सामग्री क्रय					
क.	सीमेन्ट	10 बैग	160/-	1600		
ख.	बजरी	1.37 घ.मी.	450/-	617		
ग.	कंकरीट	2.74 घ.मी.	750/-	2055		
	सीमेन्ट बजरी कंकरीट के 1:4:8 के मिश्रण से (35+20) ² X30 सेमी. के सांचे में ब्लॉक बनाना मय तराई सात दिवस तक	152 ब्लॉक	8.75	1330		
	उक्त ब्लॉक का परिवहन 45 कि.मी. दूरी तक करने पर व्यय मय भराई व खाली करवायी	152 ब्लॉक	14.80	2250		
	सीमेन्ट कंकरीट के ब्लॉक्स का मौके पर खड्डा खोदकर अलाईमेन्ट में गाडना मय स्थानीय दुलवाई फेसिंग हेतु कांटेदार तार खरीद	152 ब्लॉक	4/-	608		
	912X3 = 2736 र.मी.	0.392 मै.टन	37000/-	14504		
	कांटेदार तार को खोलना, तार फैलाना, खिंचाना तथा वाइंडिंग वायर एंगल पर निर्धारित छेदों पर मजबूती से बांधना	2736 र.मी.	0.35	958		
	कांटेदार तार पर स्थानीय रूप से उपलब्ध झाड़ काटकर इन्टरलेसिंग	500 मी.	2/-	1000		
				लगातार.....2		

कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
वृक्षारोपण हेतु पौधे तैयारी			
अ. आयादार पौधे 10 प्रतिशत	550 पौधे	3.70	2035
ब. आयादार पौधे 90 प्रतिशत (अधिक 10 प्रतिशत अधिक)	5500 पौधे	2.22	12210
आगामी वर्ष में कल्याण रीप्लसमेंट हेतु पौधे तैयारी			राशि
कीटनाशक दवाईयों की खरीद व्यय	1100 पौधे	1.56	1716
नेत्रजन खाद खरीद	11 हैक्टर	250/-	2750
क्षेत्र में उपलब्ध सिणियां खीप से चलाये मान टिब्बों पर सातह के नीचे 25 सेमी ऊपर 35 सेमी मोटाई 15 सेमी रखकर मलिनग करना	11 हैक्टर	250/-	2750
पौधारोपण हेतु (50x40) x 30 सेमी आकार का	1000 र.मी.	2/-	2000
			348599
			20383
			40777
			407759
खड्डा खोदना मय एलाइमेन्ट			
अ. चलायोमान टिब्बों पर	2000 खड्डे	0.40	800
ब. बालूई दुग्गट मिट्टी में	2500 खड्डे	1.60	4000
स. चिकनी दुग्गट मिट्टी में	1000 खड्डे	2.50	2500
12.5x30 सेमी. आकार की थैलीयों में पौधों का नर्सरी से वृक्षारोपण स्थल तक दूरी 5 कि.मी. से अधिक तक परिवहन मय पौधों की खाली करवाई खड्डे में कीटनाशक दवाई उपचारित कर पौधारोपण करना मय स्थानीय दुलाई	6050 पौधे	0.63	3812
ऊंट गाड़े द्वारा 2 कि.मी. दूरी तक पानी परिवहन कर गमला बनाकर प्रत्येक पौधे का कम से कम 25 लीटर पानी पिलाना वर्ष में प्रांच बार प्रारम्भिक सिवाई सहित	5500 पौधे	1.15	6325
पौधे के चारों ओर 45 सेमी. अर्द्धव्यास में			
क. निराई करना (वर्ष में दो बार)	5500 पौधे	0.30	3300
ख. 0.15 मी. गहरी गुडाई करना वर्ष में बार बार	5500 पौधे	0.50	11000
पौधों को सर्दी व मवेशियों से सुरक्षा हेतु स्थानीय रूप से उपलब्ध खीप सिणियां से 0.60 मी. व्यास व एक मीटर ऊंचाई का झोंपा बनाना	5500 झोंपे	2/-	11000
झोंपा बनाना (केटल गार्ड हट)	एक	एक मुश्त	7000
सुरक्षा व देखभाल हेतु वर्कचार्ज कर्मचारी पर व्यय	11 हैक्टर	4200/-	46200

:3:

कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
गे. साईनबोर्ड, जी.आई.वायर भविष्य में वर्षा क. अत्यधिक कमी की स्थिति में पौधों की एवं आतोरित रिंघाई व गुड़ाई एवं जल एवं मृद संरक्षण हेतु वी-डिच एवं चैक डेम आदि विविध व्यय			85329.
क. कार्यो पर व्यय 85 प्रतिशत			346599
ख. सामुदायिक संगठन 5 प्रतिशत			20383
ग. प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत			40777
		योग :-	<u>407759</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रावकलन में प्रयुक्त सभी दरें वन संरक्षक प्रथम ई.गा.न.प. बीकानेर की बी.एस.आर. के अनुरूप हैं।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

कार्य शुरू करने के उपरांत प्रत्येक पखवाड़े का कार्य गोश्वारा निम्नानुसार लिखा जावे।

क्र. सं.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	मात्रा/ संख्या	एम. बी. पेज. सं.	राशि
1	13/8/1971 31/8/1971	① खड़े कुदवाना $(\frac{4+5}{2}) \times 45 \text{cm}$ ② लालुरैतमें ② 0.40 प्रति खड़े ③ बालू दुमरमें ② 1.60 प्रति खड़े ④ चिकनी दुमरमें ② 2.50 —	1000 1250 500	$\frac{359}{01}$	400 2000 1250
2	—	पौधों को उपचारित कर मग स्थानीय कुलावाड़ ② 1.15 प्रति पौधा	2750	—	3162.50
3	—	पौधों को 2xM डी फाती परिवहन कर 2500 पानी प्रति किलोग्राम मग आवला कुदरी काला किलोग्राम किलोकट मग आवला कुदरी ② 3-30 प्रति पौधा	2750	—	907.5
4	—	① खड़े कुदवाना $(\frac{4+5}{2}) \times 45 \text{cm}$ ② लालुरैतमें ② 0.40 प्रति खड़े ③ बालू दुमरमें ② 0.160 — ④ चिकनी दुमरमें ② 0.2.50 —	1000 1250 500	02	400 2000 1250
5	—	पौधों को उपचारित कर मग स्थानीय कुलावाड़ काला ② 1.15 प्रति पौधा	2750	—	—
6	—	पौधों को 2xM डी फाती परिवहन 2500 पानी प्रति किलोग्राम किलोकट 2500 प्रति पौधा पानी मग आवला कुदरी काला ② 3-30 प्रति पौधा	2750	—	3162.50
7	31-8-71	पानी मग ② 5/25 प्रति पौधा	275	03	137.5
8	—	पौधों परिवहन काला 6050 ② 0.63 प्रति पौधा	6050	—	3812

क्र. सं.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	मात्रा/ संख्या	एम. बी. पेज. सं.	राशि
(क)	30/9/04	पानी का @ 5/रु. प्रति टन	275	$\frac{355}{03}$	1375
(10)	10/7/04 30/9/04	पौधों की 2KM दूरी पर पानी परिवहन कर किटनाशक मिलाकर 25लीटर पानी प्रति पौधा पिलाना मग थापला पुरुस्ती फलित @ 3-30 प्रति पौधा	2750	04	9075
(11)	—	पौधों के 45CM अडिवास में 1.5CM गहरी खुदाई करना @ 0.80 प्रति पौधा	2750	—	2200
(12)	—	पौधों के कोपे बनाना @ 2/रु. पौधा मलिन्यज बनाना @ 2/रु. पौधा	2750 2750	— —	5500 800
(13)	—	पौधों की 2KM दूरी से पानी परिवहन कर किटनाशक मिलाकर 25लीटर पानी प्रति पौधा पिलाना मग थापला पुरुस्ती करना @ 3-30 प्रति पौधा	2750	05	9075
(14)	—	पौधों के 45CM अडिवास में 1.5CM गहरी खुदाई करना @ 0.80 प्रति पौधा	2750	—	2200
(15)	—	पौधों के कोपे बनाना @ 2/रु. पौधा मलिन्यज बनाना @ 2/रु. पौधा	2750	—	5500
(16)	31/10/04 30/11/04	पौधों की 2KM दूरी पर पानी परिवहन कर किटनाशक मिलाकर 25लीटर पानी प्रति पौधा पिलाना मग थापला पुरुस्ती करना @ 3-30 प्रति पौधा	400 1500		800 4950

क्र. सं.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	मात्रा/ संख्या	एम. वी. पेज. सं.	राशि
17	2/11/04 30/11/04/06	पिंछो के पुस्तकअड्डेवाले में 15cm गहरी अड्डे करना @ 0.50 प्रतिपीचा	1500	06	750
18	—	एंगल आमरन पोस्ट ब्लॉक फॉर खंडन खोदकर अलाइमेंट में गाड़ना मय स्थानीय ड्रलवाई @ 4/Rs. ब्लॉक	152	—	608
19	—	गान्धेद्वार तरि खोदना मरफैलाकार खिंचना तथा वाइडिंग से एंगल पर निघरी न छोड़ो में वाचना @ 0.35Rs/वॉल	2736	—	758
20	—	पिंछो के 2km डूरी वाली परिवहन कर केरजाशु मिलाकर 25लीटर वाली प्रति पींचा मिलाया मय वावला ड्रलवाई @ 3.30 Rs. फीट पींचा	2000	07	6600
21	—	पिंछो के पुस्तकअड्डेवाले में 15cm गहरी अड्डे करना @ 0.50 Rs/पी	2000	—	1000
22	—	पिंछो के 2km डूरी से वाली परिवहन कर 25लीटर वाली प्रतिपींचा मिलाया मय वावला ड्रलवाई करना @ 3.30 Rs/पी	1750	08	5775
23	—	पिंछो में पुस्तकअड्डेवाले में 15cm गहरी अड्डे करना @ 0.50 Rs/पी	1750	—	875
24	30-11-04	पान्त काम @ 5/Rs/वॉल	260	—	1300
25	30-11-04	मैटार्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी आइसुरकार्ड ड्रलवाई ① शोपीरसर ग्रीड @ 500/पी	54	09	2700

क्र.स.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	मात्रा/ संख्या	एम. बी पेज. सं.	रशि
(26)	2-9-04	मैलर्स का नक़्क़शान कम्पनी 506 H (1) ग्रीट 9cm 500/- (2) बल्बरी 4.5 300/-	4500 1350	03	5850
(27)	-	मैलर्स का नक़्क़शान कम्पनी 11 डिग्रेज 10/6 (1) निकालने की बल्बरी 272 @ 300/-	8100	-	8100
(28)	5-11-04	शामदर जोरो स्टेट अड्डागाम (1) कम्प्यूरर टाइप 3x10 (2) जोरो स्टेट 30x1	30 30	10	60
(29)		(1) फिलोरो स्टेट 316x1 (2) कम्प्यूरर टाइप 3x10 (3) जोरो स्टेट 30x1	316 3 30	-	376
(30)		जोरो कृषि सेवा केंद्र अड्डागाम (1) नैल कृषि सेवा केंद्र अड्डागाम 190	20 20	-	1300 152
(31)		(1) M/S श्री 292 एम. ए. डी. कृ. नारायण एम. ए. एम. 152 एम. ए. एम. परिपत्र कार्य @ 14.80 = 4+10+.80	2250	-	2250
(32)	2.9.04	(1) मैलर्स सं. कनसद्रसग कम्पनी Bill No N12 श्री 5 गारगो (1) ग्रीट 9 cm 500/ (2) बल्बरी 4.5 cm 300/	4500 1350		

क्र. सं.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	म.सं./ म.सं.	म.सं. के म.सं. के	म.सं.
23	25.10.04	मैसर्स टॉम कुन्ड्रेकॉन कार्यालय मैसर्स टॉम कुन्ड्रेकॉन BILNONIL बिमानों. 6 मही. 27 cum @ 300/ cum			2100 =
24	2.12.04 31.12.04	मैसर्स को 2 km पानी. परिष्करण 25000 प्रति घंटा पानी बिमानों @ 4.05 प्रति घंटा	2600 प्रति घंटा		10530 =
-1-		मैसर्स को 45 cum. उड़ानों के 15 cum महीने. उड़ानों के 60	2600 प्रति घंटा		1560 =
-2-		मैसर्स को 2 km पानी. परिष्करण कार्य. किया @ 1.94 प्रति घंटा	500 RMT	-13-	970 =
	31.12.04	m/s श्रीमान् श्री. राजेश कुमार बिमानों उड़ानों के 2 km महीने. @ 5/2 km	260 प्रति घंटा	-11-	1300 =
25	2.12.04 31.12.04	मैसर्स को 2 km पानी. परिष्करण कर 25000 प्रति घंटा पानी बिमानों 9 घण्टों के लिए @ 4.05/	2600 प्रति घंटा	13	10530 =
		(ii) मैसर्स को 45 cum. उड़ानों के 15 महीने. उड़ानों के @ 0.60/	2600 प्रति घंटा	-11-	1560 =
	31.12.04	मैसर्स को 2 km पानी. परिष्करण कर 25000 प्रति घंटा पानी बिमानों @ 5/2 km	255 प्रति घंटा	-11-	1275 =

क्र.स.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	मात्रा/ संख्या	एम. वी. पेज. स.	राशि
38	21.05 - 18 31.05	(1) पौधों को 2 Km के पानी 32 गांठे उखा खनान कर शकती पानी 5 कि पौधों को पिनाम मय था वला इररती म. 9 4.05 प्रति	4000 पौधे	14	16200
		(ii) पौधों के 45cm अंकुश को 15cm गहरी ड्राई कराने 0.60 प्रति	4000 पौधे	14	2400

कार्यों की समाप्ति के पश्चात निम्नानुसार गोश्वारा दर्ज किया जावे

क्र.सं.	नाम कार्य	कुल मात्रा	कुल व्यय	हस्ताक्षर कार्य प्रभारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
1.	फौन्सिंग				
2.	खड्डे	5500	7300	ML	
3.	झोपडी				
4.	नाडी				
5.	रोपित पौधे	5500	6325	ML	
6.	बीजारोपण	-	-		
7.	अन्य				
			योग		

वृक्षारोपण का प्रजातिवार विवरण

क्र.सं.	नाम प्रजाति वृक्ष.	संख्या	हस्ताक्षर कार्य प्रभारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
1	ऊ. टोटलीन	2900	ML	
2	कुमंटा	1000		
3	ई	1200		
4	श. टिट्टा	400		
5				
		योग 5500		

वृक्षारोपण कार्य संधारण का विवरण

संधारण प्रथम वर्ष :- 2005-06

क्रम संख्या	कार्य	मात्रा पोखी	व्यय रु.	हस्ताक्षर कार्य प्रभारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
माह 5/05	सिंचाई एवं मिश्र गुड़ाई	4300	19995		ad
माह 6/05	सिंचाई एवं गुड़ाई	4400	20460		ad
माह 7/05	बाह्य खुदाना पोखी लगाना मय सिंचाई	1100 1100	1667 5797		ad
माह 8/05	पानी पिलाना (क्षतिपूर्ति के पोखी) गुड़ाई को	1100 1000	4455 600		ad
माह 9/05	पोखी में सिंचाई पोखी में गुड़ाई	5360 5360	21708 3216		ad
			योग =		

प्रथम वर्ष संधारण के उपरान्त रिप्लेसमेंट में लगाए गये
पौधों का विवरण

क्र.सं.	रोपित पौधों की प्रजाति	संख्या	हस्ताक्षर कार्य प्रभारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
1.	अकेशिया टोर्टलिस	550		
2.	कुमठ	220		
3.	बेर	250		
4.	रोहिड़ा	80		
		योग 1100		

वित्तीय वर्ष अनुसार व्यय :-

वर्षवार व्यय राशि (लाखों में)	0 वर्ष/वृक्षारोपण वर्ष	संधारण वर्ष			
		I	II	III	IV
स्वीकृत राशि					
वास्तविक राशि					


राजस्थान



सरकार

मरु प्रशार रोक परियोजना

PROJECT
COMBATING DESERTIFICATION



वृक्षारोपण विवरणिका

PLANTATION JOURNAL

वन मण्डल

बीकानेर

रैंज का नाम

श्री डूंगरगढ़

कार्य स्थल का नाम

SDS पुनरासर

कार्य का प्रकार

टिब्बा स्थिरीकरण वृक्षारोपण

C D P III

२५ दिसंबर

पंचायत समिति

श्री डूंगरगढ़


कार्यालय मण्डल वन अधिकारी

बीकानेर



मरु प्रशार रोक परियोजना

PROJECT
COMBATING DESERTIFICATION



वृक्षारोपण विवरणिका PLANTATION JOURNAL

वन मण्डल
बीकानेर

रैंज का नाम श्री डूंगरगढ़

कार्य स्थल का नाम S.D.S. पुनशासत्र २५५६६

कार्य का प्रकार टिब्बाक्षिरीकरण वृक्षारोपण C.D.P.A.

पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी
बीकानेर

प्रपत्र - 1

1. कार्य स्थल का नाम एवं क्षेत्रफल दिल्ला हिरी करण, प्लांटिंग पुनरावर 24 Hec.
2. रेंज का नाम श्री इंद्रगढ़ पंचायत समिति श्री इंद्रगढ़
3. तहसील श्री इंद्रगढ़ जिला बीकानेर वन मण्डल बीकानेर
4. स्कीम का नाम मरु पदार् शोक कार्यक्रम फेज III
5. भूमि का स्वामित्व
6. बजट मद एवं आवंटित राशि
7. अग्रिम कार्य वर्ष 2004-2005
8. वृक्षारोपण वर्ष 2004-2005
9. कार्य स्थल की स्थिति सड़क के सापेक्ष NH 11 सेरुणा ग्राम स्टेट रो अंतर बीओर 18 Km
10. चुनाव करने का कारण रतीली चलायमान मिट्टी
11. स्थानीय पारिस्थितिकी
 - (a) जलवायु उष्ण
 - (I) ताप अधिकतम/न्यूनतम/औसत 48 - 1° - 25°
 - (II) औसत वर्षा 100 mm
 - (b) भूमि का सामान्य विवरण
समतल/बालुई/टिब्बे/उबड़-खाबड़ आदि बालुई, टिब्बे, उबड़ खाबड़
 - (c) मृदा का सामान्य विवरण बायु डुमट
बालुई/बालुई-दुमट/दुमट चिकनी मिट्टी
कंकर मुरड़ युक्त/बॉल्डर युक्त आदि
 - (d) प्राकृतिक वन सम्पदा का विवरण
रेणुडी, फोग, आडी स्कीप आदि
12. क्षेत्र में विगत में किया गया कार्य मौजूद हो तो विवरण
नहीं
13. पौध तैयारी का विवरण- कितने-कितने पौधे किस प्रजाति के, किस पौधशाला में तैयार करवाये जा रहे हैं
- विवरण आवे, 2 टोटलीस, खैर, रोहिता, कुमदा NY श्री इंद्रगढ़ में तैयार किए जा रहे हैं.
8000 2000 1000 2200
14. मौके पर बोर्ड लगाया जावे।
बोर्ड लगाया/नहीं लगाया अभी नहीं लगाया है।

कार्य स्थल - टीवना सिपरीसुवा पुनरासर

क्षेत्रफल - 24 हेक्टर

परिधि - 2052 मी

पैमाना - 1:5000 = 1 से.मी

समान्य - 656 मी

कार्य स्थल का नाम

श्री 000 पुनरासर

क्षेत्रफल - 11 हेक्टर

परिधि - 1548 मीटर

Point to Bench

A-B - 142 -

B-C - 133 -

C-D - 87 -

D-E - 131 -

E-H - 124 -

F-G - 61 -

G-H - 84.5 -

H-I - 92 -

I-J - 65.5 -

J-K - 350 -

K-L - 333 -

L-M - 307 -

M-N - 299 -

N-O - 288 -

O-P - 281 -

P-Q - 254 -

Q-R - 193 -

R-S - 194 -

टीवना सिपरीसुवा पुनरासर
24 हेक्टर

श्री 000 पुनरासर


क्षेत्रफल 11 हेक्टर

टीवना सिपरीसुवा पुनरासर (11 हे.)

कार्य (कार्य) - SDS युग्म
लुहेर

N ← 15


पता 1cm = 40HA.



कार्मेलिया SDS पुनर्पत्र
 स्थिति - 24/11/22


N ← ————— → S

पैमाना 40 मी. = 1 सेमी



कार्यस्थलका नाम SDS पुनराकार
क्षेत्र क्रम 2444CC

N ← → S



संकेत

- वालु कुम्हर
- चिकनी कुम्हर

(4) "सूक्ष्म नियोजन" - "मकू विस्तार बोक परियोजना"

प्रपत्र - 2

- (1) नाम राजस्व ग्राम पुनरासार
 (2) पंचायत समिति श्री इंगरजद
 (3) रोज श्री इंगरजद
 (4) जिला श्री कांगर
 (5) राज्य राजस्थान
 (6) राजस्व ग्राम का कुल क्षेत्रफल
 (7) जनसंख्या - (1991 के आधार पर)

पुरुष	स्त्री	बालक	योग
-------	--------	------	-----

(8) परिवारों का वर्गीकरण (भूमि धारकता के आधार पर)

बड़े कृषक (10 है. से अधिक)	मध्यम कृषक (4.0 है. से 10.0 है.)	अर्द्धमध्यम कृषक (2.0 से 4.0 है.)	लघु कृषक (1.0 है. से 2.0 है.)	भूमिहीन कुल
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------

9. अनुसूची के आधार पर :

सामान्य परिवार	अनु. जाति परिवार	अनु. जन. जाति परिवार	अन्य पिछड़ी जाति परिवार	कुल
-------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	-----

जुड़ इमानप, स्टेज प्रथम, वीकानेर।

जन मास्टल वीकानेर।

स्कूल श्रीसूगरगढ़।

पंचायत समिति - श्रीसूगरगढ़।

कार्यक्रम का नाम दिवा स्थान पुनरासार 5 जिला - वीकानेर।

क्षेत्रफल - 24 हेक्टर।

वित्तीय वर्ष 2004-05 8 सृजन वर्ष - 2004-05

मजदूरी दर 60 प्रतिदिन 11 आवंटित राशि 23307 / प्र.हे.

लेखांक - सी.डी.पी 12 कुल आवंटित राशि रुपये 559368 /-


कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
क्षेत्र का चैन कम्पास सर्वे कर माईक्रोप्लान नक्शा आदि तैयार करना व क्षेत्र को उपखण्डों में विभक्त करना व साईट का पूर्ण विवरण दर्शाती नक्शा पुस्तिकाएं तैयार करना	24 हेक्टर	200/-	4800
35X35X5 मि.मी. के 1.5 मी. लम्बे एंगल आयरन खरीद कर व्यय	250 एंगल	150/-	37500
(35+20) ² X30 सेमी. आकार के 233 ब्लॉक हे. सामग्री काय	14 बग	160/	2240
क सीमेंट	2.1 घ.मी.	450/	945
ख बजरी	4.2 घ.मी.	750/	3150
ग कंकरीट	233 ब्लॉक	8.75	2039
सीमेंट बजरी कंकरीट के 1:4:8 के मिश्रण (35+20) ² X30 सेमी. के सांवे में ब्लॉक बनाने का मसाला तैयार सात दिवस तक	233 ब्लॉक	14.80	3448
उक्त ब्लॉक का परिवहन 45 कि.मी. दूरी तक करने पर व्यय मसाला तैयार व खाली करवाये	233 ब्लॉक	4/-	932
सीमेंट कंकरीट के ब्लॉक का मौक पर अलग खादकर अलाईमेंट में गाड़ना मसाला स्थानीय दुलवाड़ फौजिंग हेतु कांटेदार तार खरीद	0.6 मैटन	37000/-	22200
1396X3 = 4188 र.मी. कांटेदार तार को खोलना, तार फैलाना, सिंचान तथा माईडिंग चाकर एंगल पर निर्धारित छेदों फ	4188 र.मी.	0.35	1466
गन्नावृत्तों से बांधना कांटेदार तार पर स्थानीय रूप से उपलब्ध डाल काटकर इन्टरलॉकिंग	500 र.मी.	2/-	1000

विवरण	मात्रा	दर	राशि
पौधों के लिए तैयारी			
शायदादर पौधों 10 प्रतिशत	1200 पौधे	3.70	4440
काटेदार पौधों 90 प्रतिशत (लक्ष्य 10 प्रतिशत अधिक)	12000 पौधे	2.22	26640
पौधों के लिए कंकाली रिप्लेसमेंट हेतु पौधे			
विनाशक दवाइयों की खरीद व्यय	2400 पौधे	1.58	3744
सूखे खाद खरीद	24 हैक्टर	100/-	2400
उपलब्ध सिंचियां खींच से बलाये मान	24 हैक्टर	100/-	2400
जो पर साह के नीचे 25 सेमी ऊपर 35 सेमी			
ऊँचे 15 सेमी रखकर मल्टिप्ले करना			
पौधों के लिए $(50+40)^2 \times 30$ सेमी आकार का	14000 र.मी.	2/-	28000
2			
सूखे खींचना मय एलाइमेंट			
बलायेमान टिब्यो पर			
वालूई दुम्प्ट मिट्टी में	3600 खड्डे	0.40	1440
चिकनी दुम्प्ट मिट्टी में	8000 खड्डे	1.60	12800
5x30 सेमी. आकार की थैलीयों में पौधों वा	400 खड्डे	2.50	1000
री से वृक्षारोपण स्थल तक दूरी 5 कि.मी. से			
तक तक परिवहन मय पौधों की खाली करवाई	13200 पौधे	0.63	8316
हे में कीटनाशक दवाइयें उपचारित कर पौधारोपण			
में मय स्थानीय कुलाई	12000 पौधे	1.15	13800
गाड़े द्वारा 2 कि.मी. दूरी तक पानी परिवहन			
ममला बनाकर प्रत्येक पौधों का कम से कम			
मीटर पानी पिलाना वर्ष में 2 बार प्रारंभिक			
15 राशि	12000×4	3.30	158400
के वारी बार 45 सेमी अंदरूनी में	48000		
निर्वाह करना (वर्ष में 2 बार)	12000 पौधे	0.30	3600
0.15 मी. गहरी गुड़ाई करना वर्ष में			
2 बार	12000 पौधे	0.50	18000
को सदी व मवेशियों से सुरक्षा हेतु स्थानीय			
में उपलब्ध खींच सिंचियां से 0.60 मी. व्यास	12000 झोंपे	2/-	24000
में मीटर ऊँचाई का झोंपा बनाना	एक	एक मुश्त	7000 -
बनाना (केटल गाड़ हट)	24 हैक्टर	2000/-	48000
व्यय देखभाल हेतु वर्कवाज वर्गोचारी पर व्यय			
			लगातार....

कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
म. राई-नवोई जी.आई.वायर भविष्य में वर्षा वन असामयिक कर्मों की स्थिति में पौधों की एक अतिरिक्त सिंचाई व गुडाई एवं जल एवं मृदा संरक्षण हेतु वी-डिच एवं चैक डेम आदि प्रतिव्यय			3176
क. कार्यों पर व्यय 85 प्रतिशत			47546
ख. सामुदायिक संगठन 5 प्रतिशत			2796
ग. प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत			5594
		योग :-	55636

कुल राशि

प्रमाणित किया जाता है कि प्राकल्पन में प्रयुक्त सभी दरें वन संरक्षक
श्याम इं.मानव वीकानेर की वी.एस.आर. के अनुरूप हैं।


राष्ट्रीय वन अधिकारी
श्रीद्वारगढ़

वी.एस.आर. से चैक किया व सही पाया।

प्राकल्पन अनुमोदित

वन संरक्षक
कानेर

राष्ट्रीय वन अधिकारी
वीकानेर

कार्य शुरू करने के उपरांत प्रत्येक पखवाड़े का कार्य गोश्वारा निम्नानुसार लिखा जावे।

क्र. सं.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	मात्रा/ संख्या	एम. बी. पेज. सं.	राशि
1	13/8/04 10/31/8/04	खंडे खुदाई size $(\frac{0.40+0.50}{2})^2 \times 1.45$ (a) बालू रेत में @ 0.40 (b) बालू ड्रमट में @ 1.60 (c) चिकनी ड्रमट में @ 2.50	900 2000 100	MPN 0 352 1	360 3200 250
2	-	पीछो को उपचारित कर रोपित करना मय स्थानीय कुआर @ 1.15	3000	-	3450
3	-	पीछो को पानी 24m डूरी के परिष्करण 25ली. पानी पिमाण @ 3.30	3000	-	9900
4	-	खंडे खुदाई size $(\frac{0.40+0.50}{2})^2 \times 1.45$ (a) बालू रेत में @ 0.40 (b) बालू ड्रमट में @ 1.60 (c) चिकनी @ 2.50	900 2000 100	2	360 3200 250
5	-	पीछो को उपचारित कर रोपित करना करना @ 1.15	3000	-	3450
6	-	पीछो को पानी 24m डूरी के परिष्करण 25ली. पानी पिमाण @ 3.30	3000	-	9900
7	-	खंडे खुदाई size $(\frac{0.40+0.50}{2})^2 \times 1.45$ (a) बालू रेत में @ 0.40 (b) बालू ड्रमट में @ 1.60 (c) चिकनी @ 2.50	900 2000 100	3	360 3200 250
8	-	पीछो को उपचारित कर रोपित करना करना @ 1.15	3000	-	3450
9	-	पीछो को 24m डूरी के पानी परिष्करण कर 25ली. पानी पिमाण @ 3.30	3000	-	9900
10	-	खंडे खुदाई $(\frac{0.40+0.50}{2})^2 \times 0.145$ (a) बालू रेत में @ 0.40 (b) बालू ड्रमट में @ 1.60 (c) चिकनी ड्रमट में @ 2.50	900 2000 100	4	360 3200 250
11	-	पीछो को उपचारित करना @ 1.15	3000	-	3450
12	-	पानी पिमाण @ 3.30	3000	-	9900

क्र.स.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	मात्रा/संख्या	एम. की पेज. सं.	राशि
13	14/8/64	पौधों की देखभाल @ 0.80	13200	352/5	8316
14	-	पानी 300	600	-	3000
15	10/9/64 10/30/9/64	पौधों को पानी 2km दूरी के परिवहन कर कर 25ली पानी प्रति पौधे को पिलाना मध्य प्रायण्य दुकुरसी @ 3.30 Rs per plant	3000	06	9900
16	-	पौधों के 15cm ऊपर काटना 15cm ऊपर की गुड़ाई करना एवं निराड करना @ 0.80	3000	-	2400
17	-	पौधों के पौले सेलचाप हेतु कोपे बनाना	3000	-	6000
18	-	मरिचिंग कार्य @ 2/1 per cent	500	-	1000
19	-	पौधों को पानी 2km दूरी के परिवहन कर कर 25ली पानी प्रति पौधे को पिलाना मध्य प्रायण्य दुकुरसी @ 3.30 Rs per plant	3000	07	9900
20	-	निराड गुड़ाई कार्य @ 0.80	3000	-	2400
21	-	पौधों के कोपे बनाना @ 2/-	3000	-	6000
22	-	मरिचिंग करना @ 2/-	500	-	1000
23	-	-	-	08	-
24	-	पौधों को पानी 2km दूरी के परिवहन कर कर 25ली पानी प्रति पौधे को पिलाना मध्य प्रायण्य दुकुरसी @ 3.30 Rs per plant	3000	-	9900
25	-	निराड गुड़ाई कार्य @ 0.80 पौधों के कोपे बनाना @ 2/-	3000	-	2400
26	-	मरिचिंग करना @ 2/-	3000	-	6000
27	-	मरिचिंग करना @ 2/-	500	-	1000
28	-	पौधों को पानी 2km दूरी के परिवहन कर कर 25ली पानी प्रति पौधे को पिलाना मध्य प्रायण्य दुकुरसी @ 3.30 Rs per plant	3000	09	9900
29	-	निराड गुड़ाई कार्य @ 0.80 पौधों के कोपे बनाना @ 2/-	3000	-	2400
30	-	मरिचिंग करना @ 2/-	3000	-	6000
31	-	मरिचिंग करना @ 2/-	500	-	1000
32	-	पानी 300 @ 57 प्रति पौधे	600	10	3000

क्र.स.	कार्य अवधि	कार्यों का विवरण	मात्रा/ संख्या	एम. वी. पेज. सं.	राशि
(33)	21/11/54 30/11/54	रंगल जंगल में, पर खरबूटा खोरकर गादना मग आलाइमेन्ट व रसायनों कुलाई (2) 4/100 Rs. Per Plot	204	(11)	816
(34)		कारदार तर को ओगना तर फुलाना दिवाना तथा ताड़िका तगर से रंगल के बांदाजा (2) 0.35 Rs. Per Plot	3933	-	1376.55
(35)		पौधों के 2 KM दूरी से पानी कुलाई से परिवहन कर 25ली. पानी प्रति पौधा मग धालवा कुरुस्ती (2) 3-30 Rs. Per Plot	4000	-	13200
(36)		पौधों के 45 CM अडूयास में 15 CM गूही कुलाई करना (2) 0.50 Rs. Per Plot	4000	-	2000
(37)		पौधों के 2 KM दूरी से पानी परिवहन कर 25ली. पानी प्रति पौधों के पौधा मग धालवा कुरुस्ती (2) 3-30 Rs. Per Plot	4000	12	13200
(38)		पौधों के 45 CM अडूयास में 15 CM गूही कुलाई करना (2) 0.50 Rs. Per Plot	4000	-	2000
(39)		पौधों के 2 KM दूरी से पानी परिवहन कर 25ली. पानी प्रति पौधों के पौधा मग धालवा कुरुस्ती (2) 3-30 Rs. Per Plot	4000	13	13200
(40)		पौधों के 45 CM अडूयास में 15 CM गूही कुलाई करना (2) 0.50 Rs. Per Plot	4000	-	2000
(41)		पानी मग (2) 5/100	600	-	3000

कार्यों की समाप्ति के पश्चात निम्नानुसार गोश्वारा दर्ज किया जावे

क्र.सं.	नाम कार्य	कुल मात्रा	कुल व्यय	हस्ताक्षर कार्य प्रभारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
1.	फैन्सिंग	204 Angle	-	dl	
2.	खड्डे	12000	15240	dl	
3.	झोंपड़ी				
4.	नाड़ी				
5.	रोपित पौधे	12000	13800	dl	
6.	बीजारोपण	-	-		
7.	अन्य				
			योग		

वृक्षारोपण का प्रजातिवार विवरण

क्र.सं.	नाम प्रजाति वृक्ष	संख्या	हस्ताक्षर कार्य प्रभारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
①	आठ टोरलीन	4500	dl	
②	हुमंडा	2500		
③	रोलिंग	1500		
④	कैर	2500		
⑤	खेपड़ी	1000		
		योग .../2000		

वृक्षारोपण कार्य संधारण का विवरण

संधारण प्रथम वर्ष :- 2005-06

क्रम संख्या	कार्य	मात्रा	व्यय (₹)	हस्ताक्षर कार्य प्रभारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
1)	पौधों में सिंचाई	6400	25920		
भाह5/05	पौधों में गुड़ाई	6400	3840		al
भाह6/05	पौधों में सिंचाई	9600	38880		
	पौधों में गुड़ाई	9600	5760		al
भाह7/05	गुड़े खोलने का कार्य	2400	2328		
	क्षतिपूर्ति वृक्षा. हेतु				
	पौधों लगाना मय सिंचाई	2400	12648		al
भाह8/05	सिंचाई क्षतिपूर्ति में लगे पौधों हेतु	2400	9720		
	गुड़ाई	1800	1080		al
भाह9/05	सिंचाई कार्य	9505	38495		
	गुड़ाई	7535	4521		al
			योग =		

प्रथम वर्ष संधारण के उपरान्त रिप्लेसमेंट में लगाए गये
पौधों का विवरण

क्र.सं.	रोपित पौधों की प्रजाति	संख्या	हस्ताक्षर कार्य प्रभारी	हस्ताक्षर क्षेत्रीय
1.	टोर्टलिस	800		
2.	कुमठा	520		
3.	रोहिड़ा	315		
4.	बेर	500		
5.	खेजड़ी	265		
		योग 2400		aw

वित्तीय वर्ष अनुसार व्यय : -

वर्षवार व्यय राशि (लाखों में)	0. वर्ष / वृक्षारोपण वर्ष	संधारण वर्ष			
		I	II	III	IV
स्वीकृत राशि					
वास्तविक राशि					